इंडियन बैंक Indian Bank

वित्तीय वर्ष 2026-27 और तत्पश्चात के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति पर नीति (घरेलू और विदेशी) संस्करण 1.0

लेखा विभाग

यह नीति "वर्ष 2023-24 और तत्पश्चात के लिए सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति पर नीति (घरेलू और विदेशी)" को अधिक्रमित और प्रतिस्थापित करती है। यह नीति इंडियन बैंक की संपत्ति है और इंडियन बैंक की पूर्व अनुमति के बिना, किसी भी रूप में या किसी भी तरह से, पूरे या आंशिक रूप से, पुन: प्रस्तुत या कॉपी नहीं की जा सकती है।

इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

शीर्षक **वित्तीय वर्ष 2026-27 और तत्पश्चात के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) की नियुक्ति पर नीति (घरेलू और विदेशी)**

संस्करण 1.0

स्वामित्व:	**लेखा विभाग**
द्वारा तैयार:	**लेखा विभाग**
द्वारा समीक्षित:	**एसीबी**
द्वारा अनुमोदित:	**बोर्ड**
से प्रभावी:	**01.04.2026**
वैधता	**वित्तीय वर्ष 2026-27 और तत्पश्चात वित्तीय वर्ष 2028-29 तक 3 वर्ष के लिए वैध जो कि किसी भी अंतरिम नीति संशोधनों के अधीन है।**

इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

संस्करण नियंत्रण

संस्करण संख्या	द्वारा तैयार	के द्वारा अनुमोदित	प्रभावी तिथि
1	लेखा विभाग	बोर्ड	01.04.2026

वर्ष के दौरान परिवर्तन :

जारी करने की तिथि	परिपत्र संख्या	परिपत्र का नाम

विषय-सूची

1. नीति का उद्देश्य 5
2. आवेदन का क्षेत्र 5
3. नीति के उद्देश्य 5
4. विनियामक संदर्भ 5
5. लेखा परीक्षकों का चयन और नियुक्ति 5
6. पात्रता मापदंड 6
7. पारिश्रमिक 7
8. शाखाओं का चयन 7
9. लेखापरीक्षा फर्मों से प्राप्त किए जाने वाले वचन/घोषणाएँ 8
10. अन्य मामलें 9
11. विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा 10
12. नीति की समीक्षा 10
13 अनुलग्नक 1 11

इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

1. नीति का उद्देश्य

2026-27 और तत्पश्चात सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों की नियुक्ति पर नीति का उद्देश्य आरबीआई द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक में एसबीए की नियुक्ति के लिए पात्रता और प्रक्रियाओं पर मार्गदर्शन प्रदान करना है।

2. आवेदन का क्षेत्र

यह नीति सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति के लिए लागू है

3. नीति के उद्देश्य

नीति के दस्तावेज का उद्देश्य बैंक के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति पर मार्गदर्शन प्रदान करना है.

4. विनियामक संदर्भ

आरबीआई की पत्र सं. डीओएस.सीओ.एआरजी/एस8213/08.91.001/2022-23 दिनांक 06.03.2023 जिसमें निम्नलिखित है:-

(i) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के लिए संशोधित दिशानिर्देश।

(ii) सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा के तहत व्यवसाय कवरेज के मानदंड।

- आरबीआई की पत्र सं. डीओएस.एआरजी.सं.एस512/08.91.001/2023-24 दिनांक 24.04.2023

5. लेखा परीक्षकों का चयन और नियुक्ति

1. आईसीएआई आरबीआई द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार पात्र लेखापरीक्षा संस्थाओं की एक सूची अग्रेषित करेगा। निरंतर/गैर-निरंतर लेखापरीक्षकों आदि की पहचान करने के लिए इसकी समीक्षा की जाएगी और चयन के लिए इसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पीएसबी को अग्रेषित किया जाएगा।

2. लेखा परीक्षकों की नियुक्ति आरबीआई से प्राप्त लेखा परीक्षकों की दो सूचियों से की जाएगी अर्थात् (i).निरंतर फर्में और (ii) गैर-निरंतर फर्में।

3. लेखापरीक्षा फर्मों का चयन, लेखापरीक्षा के लिए चयनित शाखाओं की श्रेणी, स्थिति और आकार में उनकी सीमा तक को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

4. उपमहाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक (डीबीडी), उपमहाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक (निरीक्षण), उपमहाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक (लेखा), उपमहाप्रबंधक / सहायक महाप्रबंधक (अनुपालन – आमंत्री के तौर पर) की समिति द्वारा चयन किया जाएगा और महाप्रबंधक-सीएफओ के समक्ष अनुमोदन के लिए को रखा जाएगा तथा अंतिम अनुमोदन के लिए एसीबी को अनुशंसा की जाएगी।

5. भारतीय रिजर्व बैंक ने पीएसबी को 31 मार्च, 2023 और उसके बाद समाप्त होने वाली अवधि की लेखा परीक्षा हेतु एसबीए की नियुक्ति के लिए प्रत्येक मामले में बिना उनकी पूर्व अनुमति के भारतीय रिज़र्व बैंक के परिपत्र संख्या डीओएस.सीओ.एआरजी/एस8213 /08.91.001/2022-23 दिनांक 06.03.2023 के निर्देशों के अनुपालन में एसबीए नियुक्त करने की अनुमति दी है।

6. उस संबन्धित वर्ष के लिए कार्य लेने एवं उस अवधि के लिए किसी अन्य पीएसबी में सांविधिक लेखा परीक्षा का कार्य न लिए जाने हेतु लिखित रूप में ऑडिट फर्म से अपरिवर्तनीय सहमति प्राप्त की जाएगी।

7. नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति से पहले, चयनित लेखापरीक्षा संस्थाओं के नाम आरबीआई के ऑडिटर एलोकेशन सिस्टम (एएएस) में अपलोड किए जाएंगे ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कोई भी लेखापरीक्षा इकाई जिसे कई पीएसबी द्वारा पसंद किया गया है, एएएस द्वारा केवल एक पीएसबी को 'पहले आओ-पहले पाओ' के आधार पर आबंटित किया जाए। नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति के उपरांत, बैंक, शाखाओं के आबंटन का विवरण नियुक्त एएएस की सूची सहित (एएएस के माध्यम से) आरबीआई को रिपोर्ट करेंगे।

बैंक एसबीए को एक बार में एक वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त करेगा जो लगातार चार वर्षों की अवधि तक होगा, बशर्ते कि ऑडिट फर्म, पात्रता मानदंडों को पूरा करे। नियुक्त एसएसए का नाम आरबीआई को सूचित किया जाएगा।

6. पात्रता मापदंड

क) एसबीए के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति की पात्रता के लिए, एक लेखापरीक्षा इकाई (यानी लेखापरीक्षा फर्म या एकल स्वामित्व वाले लेखापरीक्षक) निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करेंगे:

(i) ऑडिट इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करती हो।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत सरकार का नियंत्रक महालेखापरीक्षक(सी व एजी), नैशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी (एनएफआरए), भारतीय सनदी लेखापरीक्षा संस्थान सहित अन्य कोई नियामक निकाय द्वारा लेखापरीक्षा इकाई या उसके किसी भागीदार को बतौर लेखापरीक्षक कार्य करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

(iii) लेखापरीक्षा इकाई नियुक्ति की अवधि के दौरान किसी अन्य पीएसबी के एसबीए या सांविधिक केंद्रीय लेखा परीक्षक (एससीए) के रूप में लेखापरीक्षा कार्य नहीं कर रही है।

(iv) यदि लेखा परीक्षक ने पहले बैंक के एसबीए के रूप में लगातार चार वर्ष पूरे किए हैं, तो उसी पीएसबी के एसबीए के रूप में पुनः नियुक्ति हेतु अंतिम लेखापरीक्षा कार्य पूरा होने से कम से कम चार वर्षों का अंतराल रखा जाए।

(v) यदि लेखापरीक्षक बैंक में कभी बतौर सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक (एससीए) नियुक्त हुआ हो तो उसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक में बतौर एससीए अंतिम लेखापरीक्षा में शामिल होने से कम से कम छः वर्ष की अवधि समाप्त हो चुकी हो। (पिछली नियुक्ति के

इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

कार्यकाल के बावजूद)

(vi) लेखापरीक्षा फर्म का कोई भागीदार या लेखापरीक्षा इकाई का कोई स्वामी उसी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) में निदेशक नहीं हो।

(vii) लेखापरीक्षा फर्म का उसी पीएसबी के किसी अन्य एसबीए के साथ कोई साझा भागेदारी न हो और न ही किसी लेखापरीक्षा फर्म के एक ही नेटवर्क के अधीन हो (नेटवर्क से तात्पर्य कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 6(3) में परिभाषित नेटवर्क से है)।

(viii) ऑडिट इकाई, 31 मार्च, 2026 को समाप्त वर्ष एवं उससे आगे के लिए लेखापरीक्षा नियुक्ति हेतु अनुलग्नक 1 में निर्धारित बैंक लेखापरीक्षा अनुभव, साझेदारों की संख्या, प्रतिष्ठा आदि के लिए मानदंड को पूरा करती है।

ख) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि लेखापरीक्षा इकाई किसी भी नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति से पहले और साथ ही लेखापरीक्षा कार्य के दौरान पात्रता मानदंड की आवश्यकता को पूरा करती है। इसके अलावा, लेखापरीक्षा इकाई को नियुक्त करने से पहले, बैंक संबन्धित वर्ष के लिए और तत्पश्चात वर्षों के दौरान क्रमशः एसबीए के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर विचार करने के लिए इकाई की अपरिवर्तनीय सहमति मांगेगा, और साथ ही यह भी कि इस अवधि के दौरान वह किसी अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के एससीए और एसबीए के रूप में नियुक्ति स्वीकार नहीं करेगी। एक लेखापरीक्षा इकाई किसी विशेष वर्ष के दौरान केवल एक पीएसबी के एससीए या एसबीए के रूप में नियुक्ति/पुनः नियुक्ति के लिए पात्र होगी। हालाँकि, उपरोक्त निर्देश किसी लेखापरीक्षा इकाई को किसी अन्य पीएसबी के एसबीए के रूप में इस्तीफे के बाद पीएसबी के एससीए के रूप में नियुक्ति स्वीकार करने से नहीं रोकते हैं।

7. पारिश्रमिक

एसबीए को भा.रि.बैं. द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों एवं सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के विधिवत् अनुमोदन के आधार पर लेखापरीक्षा हेतु पारिश्रमिक, यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता एवं अन्य प्रासंगिक व्यय का भुगतान किया जाएगा।

8. शाखाओं का चयन

भारतीय रिज़र्व बैंक के निम्नलिखित दिशानिर्देशों के आधार पर शाखाओं का चयन किया जाता है:-

(क) वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पीएसबी की सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा इस तरह से की जाए कि बैंक द्वारा वित्तपोषित क्रेडिट एक्सपोजर का 70% और गैर वित्तपोषित ऋण एक्सपोजर का 70% कवर किया जा सके।

वित्तीय वर्ष 2023-24 और तत्पश्चात के लिए, आरबीआई ने आरबीआई परिपत्र डीओएस.सीओ.एआरजी/एस8213/08.91.001/2022-23 दिनांकित 06.03.2023 में निहित दिशानिर्देशों सहित व्यापार और वित्तीय जोखिमों से संबंधित बैंक-विशिष्ट पहलुओं पर विचार करने के बाद बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति के अनुसार सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा के तहत व्यापार कवरेज निर्धारित करने के लिए बैंकों को विवेकाधिकार दिया है।

इसके अनुसार, वित्तीय वर्ष 2023-24 और तत्पश्चात के लिए सांविधिक शाखा लेखापरीक्षा की जाए जिससे बैंक द्वारा वित्तपोषित क्रेडिट एक्सपोजर का 70% और गैर वित्तपोषित ऋण एक्सपोजर का 70% कवर किया जा सके। शाखाओं का चयन एवं बिजनेस कवरेज एक दूसरे के अनुपूरक हैं जिसमें बैंक की विशिष्ट विशेषताओं, प्रक्रिया के केन्द्रीकरण की डिग्री, ऋण जोखिम एवं धोखाधड़ी जोखिम पर ध्यान देने, आतंरिक/समवर्ती लेखापरीक्षकों से प्राप्त प्रतिकूल रिपोर्ट, व्हिस्ल ब्लोअर की शिकायतें एवं एमआईएस रिपोर्ट्स में दिखाई जा रही असामान्य पद्धति / गतिविधि को ध्यान रखा जाएगा। इसमें रिप्रजेंटेटिव क्रॉस सेक्शन के ग्रामीण अर्द्ध शहरी, शहरी एवं महानगरीय शाखाओं, के साथ-साथ वे शाखाएँ जो समवर्ती लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं को भी शामिल किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा।

ग) बोर्ड द्वारा अनुमोदित पद्धति एवं बोर्ड की लेखापरीक्षा समिति (एसीबी) के अनुमोदन के आधार पर ही शाखाओं का वास्तविक चयन और सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों का आबंटन किया जाएगा।

घ) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों को शाखाओं का चयन एवं आबंटन पारदर्शी, निष्पक्ष एवं न्यायपूर्ण तरीके से किया जाए ।

ङ) बैंक, शीर्ष 20 शाखाएँ सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों को आबंटित (बकाया अग्रिमों को केवल अवरोही क्रम में ही चयन किया जाएगा) करेगा और यह सुनिश्चित करेगा कि सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों (एससीए) के सान्निध्य में बैंक के कुल अग्रिमों का कम से कम 15 प्रतिशत शाखाओं द्वारा एससीए के माध्यम से कवर किया जाए।

च) प्रत्येक सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों (एसबीए) को अधिकतम दो शाखाएँ ही आबंटित की जाएगी।

छ) चार्टर्ड अकाउंटेंट का कार्य कर रहे समवर्ती लेखापरीक्षकों द्वारा तैयार की गई लॉन्ग फॉर्म ऑडिट लेखा रिपोर्ट्स (एलएफएआर) को समेकित किया जाएगा और बैंक द्वारा अपने एससीए को उन शाखाओं के लिए उपलब्ध कराया जाएगा जो सांविधिक लेखापरीक्षा के अधीन नहीं हैं (जिनका सांविधिक लेखापरीक्षा नहीं किया जाना है)। ऐसी शाखाओं के लिए समवर्ती लेखा परीक्षकों द्वारा तैयार किए गए कोई अन्य प्रमाण पत्र और रिपोर्ट्स भी एससीए को प्रस्तुत किए जाएंगे।

9. लेखापरीक्षा फ़र्मों से प्राप्त किए जाने वाले वचन / घोषणाएँ

क) फर्म/फर्मों से इस आशय की एक घोषणा ली जाएगी कि लेखापरीक्षा का कार्य उनके अपने स्टाफ द्वारा ही किया जाएगा और वे इस कार्य को सब-कॉन्ट्रेक्ट पर नहीं देंगे और अन्य फर्मों में उनका / उनकी निजी पहचान के भागीदार / साझेदारों, जिसमें / जिनमें वह / वे भागीदार हैं / होगा /होंगे / होगी / होंगी, उन सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की शाखाओं का वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई लेखा परीक्षा नहीं करेगा/करेगी/करेंगे।

ख) एकल स्वामित्व वाली फर्मों को लेखापरीक्षा कार्य सौंपने से पहले प्रोप्राइटर से यह घोषणा ली जाएगी कि वे पूर्णकालिक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और अन्य कहीं कार्यरत नहीं हैं और न ही अन्य कोई व्यावसायिक हित है। घोषणा में एकल स्वामी के यदि अन्य कोई व्यावसायिक हित हो तो घोषणा में उसकी प्रकृति का उल्लेख किया जाए।

ग) लेखापरीक्षा इकाई कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 141 में निर्धारित सभी मानदंडों को पूरा करती है।

इंडियन बैंक / INDIAN BANK
कॉर्पोरेट कार्यालय
Corporate Office
चेन्नै
Chennai-600 014.
लेखा विभाग / Accounts Department

घ) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के अभिलेख में प्रतिष्ठान/ उसके किसी भागीदार/ स्वामी के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल टिप्पणी/ अनुशासनिक कार्यवाई लंबित या प्रारंभ न की गई हो, ऐसा होने पर वे लेखापरीक्षक के पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्य होंगे।

ङ) लेखापरीक्षा फर्म का कोई भागीदार या उसका/उनका पति/पत्नी, आश्रित बच्चे, पूर्ण या मुख्य रूप से आश्रित माता-पिता, भाई, बहन या उनमें से कोई अथवा कोई फर्म या कंपनी जिसमें/जिनमें वह/वे भागीदार/निदेशक हैं और वह/वे हमारे बैंक का देनदार हैं और वह/वे किसी अन्य बैंक या वित्तीय संस्थान द्वारा इरादतन चूककर्ता घोषित नहीं किए गए हैं।

च) लेखापरीक्षा इकाई की एक ही सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक(पीएसबी) में किसी दूसरे एसबीए के साथ कोई आपसी साझेदारी न हो और न ही वे लेखापरीक्षा फर्म के एक ही नेटवर्क में आते हों। (नेटवर्क से तात्पर्य कंपनी (लेखापरीक्षा एवं लेखापरीक्षक) नियमावली, 2014 के नियम 6(3) में परिभाषित नेटवर्क से है)।

छ) लेखापरीक्षा इकाई नियुक्ति की अवधि तक किसी अन्य पीएसबी में बतौर एसबीए या एससीए कोई लेखापरीक्षा कार्य नहीं कर रही है।

ज) लेखापरीक्षा इकाई यह वचन दे कि वह किसी अन्य पीएसबी के एससीए/एसबीए नहीं है। हालांकि ऐसा करने के बावजूद, उस लेखापरीक्षा इकाई द्वारा बैंक के एसबीए के रूप में इस्तीफा दे दिये जाने के बाद, उसे किसी अन्य पीएसबी में बतौर एससीए की नियुक्ति स्वीकार करने पर प्रतिबंध नहीं है।

झ) भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, भारत सरकार का नियंत्रक महालेखापरीक्षक(सी व एजी), नेशनल फाइनेंसियल रिपोर्टिंग ऑथोरिटी (एनएफआरए), भारतीय सनदी लेखापरीक्षा संस्थान सहित अन्य कोई नियामक निकाय द्वारा लेखापरीक्षा इकाई या उसके किसी भागीदार को बतौर लेखापरीक्षक कार्य करने से प्रतिबंधित न किया गया हो।

ञ) लेखापरीक्षा फर्म का कोई भागीदार या लेखापरीक्षा इकाई का कोई स्वामी बैंक में निदेशक न हो।

ट) संबंधित वर्ष के लिए और उसके बाद के निरंतर वर्षों के दौरान एसबीए के रूप में नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति पर विचार करने के लिए लेखा परीक्षा फर्म से लिखित में प्राप्त किया जाना है, और ऐसी अवधि के दौरान किसी अन्य पीएसबी के साथ सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा कार्यभार नहीं लेना है।

10. अन्य मामलें

1. एसीबी वार्षिक आधार पर एसबीए के कार्यनिष्पादन की समीक्षा करेगी। लेखापरीक्षा दायित्वों में कोई गंभीर चूक / लापरवाही या एसीबी की ओर से आचरण संबंधी या प्रासंगिक माने जाने वाले किसी अन्य मामले को वार्षिक लेखापरीक्षा के पूरा होने के दो महीने के भीतर लेखापरीक्षा फर्म के पूर्ण विवरण के साथ इसे आरबीआई को रिपोर्ट किया जाएगा।

2. महाप्रबंधक – सीएफओ, सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षकों या सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों के चयन और उनकी शाखाओं के आबंटन के संबंध में शिकायतों (यदि कोई हो) का निवारण करेंगे।

3. चार वर्ष की लेखापरीक्षा अवधि पूरी होने से पहले पीएसबी द्वारा एसबीए की गैर-पुनर्नियुक्ति / निष्कासन करना आरबीआई की पूर्व स्वीकृति के अधीन रहेगा। बोर्ड / एसीबी के अनुमोदन से भारतीय रिजर्व बैंक को पूर्व अनुमोदन के लिए ऐसा अनुरोध भेजा

जाएगा।

4. लेखा परीक्षकों के चयन और नियुक्ति के लिए बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीति को बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। बैंक अपनी वेबसाइट पर वित्तीय वर्ष 2023-24 से संबंधित वर्ष और विगत वर्ष के लिए सांविधिक शाखा लेखा परीक्षा के तहत व्यापार कवरेज की सीमा को प्रदर्शित करेगा।

5. यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कार्य की शर्तों के एक भाग के रूप में, एसबीए 1 करोड़ रुपये या उससे अधिक की राशि की किसी भी धोखाधड़ी की सूचना सीधे धोखाधड़ी निगरानी समूह, पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिजर्व बैंक को देगा। इसके अतिरिक्त कार्य की शर्तों में धोखाधड़ी सहित सभी भौतिक अनियमितताओं की रिपोर्टिंग एसीबी के अध्यक्ष के साथ-साथ बैंक के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी को करना आवश्यक होगा।

6. सेबी (एलओडीआर) विनियम- "सूचीबद्ध इकाई यह सुनिश्चित करेगी कि त्रैमासिक समेकित वित्तीय परिणामों के प्रयोजनों के लिए, क्रमशः समेकित राजस्व, आस्तियों और लाभों का कम से कम अस्सी प्रतिशत (80%), लेखापरीक्षा के अधीन होगा या अलेखापरीक्षित परिणामों के मामले में, सीमित समीक्षा के अधीन होंगे" का पालन किया जाएगा।

7. आरबीआई द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देश भी लागू होंगे। आरबीआई द्वारा जारी कोई भी संशोधन/नए दिशानिर्देश इस नीति का हिस्सा बन जाएंगे।

11. विदेशी शाखाओं की लेखापरीक्षा

वर्तमान में बैंक की सिंगापुर में 01 शाखा और श्रीलंका में 02 शाखा और गिफ्ट सिटी, भारत में एक शाखा है। मौजूदा विदेशी शाखा और भविष्य में खोली जाने वाली शाखाओं की लेखापरीक्षा उस देश के कानून के साथ-साथ भा.रि.बै. द्वारा निर्धारित मानदंडों द्वारा नियंत्रित की जाएगी। लेखा विभाग, कॉर्पोरेट कार्यालय लेखापरीक्षा, लेखापरीक्षकों के चयन एवं पारिश्रमिक का अनुमोदन आदि से संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करेगा।

बैंक अपनी मौजूदा प्रचलन को जारी रखेगा, जिसके तहत वह आवर्तन के आधार पर अपनी एक-तिहाई विदेशी शाखाओं (गिफ्ट सिटी शाखा सहित) की समीक्षा करेगा तथा यह समीक्षा उन देशों में कार्यरत ऑडिट फर्मों के माध्यम से करवाई जा सकती है, जहाँ ये शाखाएँ परिचालित हैं।

12. नीति की समीक्षा

यह नीति 2028-29 तक, 3 वर्ष के लिए वैध है जो किसी अन्तरिम नीति में संशोधन के अधीन है।

इंडियन बैंक / INDIAN BANK कॉर्पोरेट कार्यालय Corporate Office चेन्नै Chennai-600 014. लेखा विभाग / Accounts Department

13 अनुलग्नक 1

31 मार्च, 2027 को समाप्त होने वाले वर्ष एवं उससे आगे के लिए लेखा कार्यों के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त की जाने वाली लेखापरीक्षा फर्मों के पैनल के लिए पात्रता मानदंड

श्रेणी	फर्म से विशिष्ट * रूप से संबद्ध सीए की संख्या (पूर्णकालिक)	फर्म से विशिष्ट* रूप से जुड़े भागीदारों की संख्या (पूर्णकालिक) (2 में से)	पेशेवर कर्मचारी #	बैंकों में लेखापरीक्षा का अनुभव	लेखापरीक्षा फर्म की स्थिति @
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
श्रेणी I	5	3	8	फर्म या उसके कम से कम एक भागीदार को न्यूनतम 8 वर्ष का सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) और/या निजी क्षेत्र के बैंक (पीवीबी) की शाखा लेखापरीक्षा का अनुभव होना चाहिए।	8 वर्ष
श्रेणी II	3	2	6	फर्म या उसके कम से कम एक भागीदार ने पीएसबी / पीवीबी की न्यूनतम 5 वर्षों तक शाखा लेखापरीक्षा संचालित की हो।	6 वर्ष (फर्म या कम से कम एक भागीदार के लिए)
श्रेणी III	2	2	4	फर्म या उसके कम से कम एक सीए ने पीएसबी पीवीबी की /न्यूनतम 3 वर्षों तक शाखा लेखापरीक्षा संचालित किया हो।	5 वर्ष (फर्म या कम से कम एक भागीदार के लिए)
श्रेणी IV					
भागीदार फर्म	2	2	2	आवश्यक नहीं	3 वर्ष
स्वामित्व फर्म	2	1	2	आवश्यक नहीं	6 वर्ष
स्वामित्व फर्म	1	1	2	प्रोपराइटर ने न्यूनतम 3 वर्षों तक पीएसबी / पीवीबी का शाखा लेखापरीक्षा किया हो।	6 वर्ष

* 'विशेष संघ' की परिभाषा निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगी:

क पूर्णकालिक भागीदार अन्य फर्म / फर्मों में भागीदार नहीं होने चाहिए।

ख उन्हें अन्यत्र पूर्णकालिक / अंशकालिक नियोजित नहीं होना चाहिए।

ग उन्हें अपने नाम से ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहिए या अन्यथा कारोबार नहीं करना चाहिए या अन्य गतिविधि में संलग्न नहीं होना चाहिए जिसे चार्टर्ड अकाउंटेंटस अधिनियम, 1949 की धारा 2 (2) के तहत कारोबार माना जाता है।

पेशेवर कर्मचारी (टंकक, आशुलिपिक, कंप्यूटर संचालक, सचिवों, अधीनस्थ कर्मचारी आदि को छोड़कर) में लेखा परीक्षा और लेखबद्ध लिपिक शामिल हैं जिन्हें बहीखाता पद्धति एवं लेखा-शास्त्र का ज्ञान हो एवं जिन्होंने लेखापरीक्षा में काम किया हो।

@ एक लेखा फर्म की स्थिति की गणना इसकी स्थापना की तिथि से की जाएगी। एक स्वामित्व फर्म के लिए, जिस अवधि के लिए आईसीएआई द्वारा जारी किया गया कार्य करने का प्रमाणपत्र धारण कर रहा है, उसकी स्थायी होने के लिए गणना की जाएगी।